# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 52/2020

1. शांती देवी पत्नी बंशी
2. ओमप्रकाश पुत्र बंशी
3. जयसिंह पुत्र बंशी
4. रामकिशोर पुत्र बंशी
5. मूलचन्द पुत्र बंशी
6. प्रेमचन्द पुत्र बंशी
7. महेश पुत्र बंशी

समस्त जातियान् यादव निवासी पाथरेडी तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. तहसीलदार पावटा जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 06/8/1994 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) बाबत आराजी ख.नं. 908/1 वाके ग्राम पाथरेडी तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.)**

निर्णय

दिनांक 27.1.2021

अपीलान्टस् ने नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 06/8/1994 द्वारा तहसीलदार कोटूपतली बाबत आराजी ख.नं. 908/1 वाके ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व जरिये वकील पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश हैं :–

1. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 272 वाके मौजा पाथरेडी तहसील पावटा जिला जयपुर (राज.) जिसके हाल ख.नं. 908/1 वाके ग्रम पाथरेडी बने है में से 1.00 हैक्टर भूमि का आवंटन प्रार्थीगण/अपीलान्ट के पति/पिता को दिनांक 16/9/1976 को हुआ था।
2. यह है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के द्वारा अपीलान्ट केपिता के हक में एक घोषणात्मक वाद ब उनवानी बंशी बनाम राजस्थान सरकार मु.नं. 25/1988 निर्णय दिनांक 23/5/1994 के द्वारा डिक्री किया जाकर अपीलान्ट के पिता को आराजी ख.नं. 908 में 1.00 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था।
3. यह है कि उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 279 ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 तस्दीक किया जाकर खसरा नम्बर 908 वाके मौजा पाथरेडी में से 1.00 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट के पिता को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज किया गया। साथ ही उक्त नामान्तरकरण की पालना ख.नं. 908 में से `1.00 हैक्टर भूमि का नया खसरा नम्बर 908/1 दर्ज कर नक्शे में पूर्व से पश्चिम ख.नं. 889, 888, 891 से सटते हुए तरमीम कर दी थी जो तरमीम गलत कर दी गयी थी, जबकि ख.नं. 809/1 को नक्शें में खसरा नम्बर 905, 906, 907, 891 से सटते हुए उत्तर से दक्षिण तरमी करनी चाहिए थी।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

4. यह है कि पटवरी हल्का ने भी हाल ही में मौका रिपोर्ट में अपीलान्ट को उत्तर से दक्षिण ख. नं. 905, 906, 907, 891 से सटते हुए काबिज बताया है। इसलिए उक्त नामान्तरकरण की पालना में की गयी नक्शा तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।
5. यह है कि इस तथ्य की जानकारी गत सप्ताह पटवारी हल्का के पास नक्शा देखने से हुयी जिस पर अपीलान्ट ने सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति प्राप्त की तथा तहसीलदार कोटपूतली को नक्शे में तरमीम दुरूस्त कराने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोई करो। इसलिए यह अपील श्रीमान् न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।
6. यह है कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 06/8/1994 की पालना में की गयी तरमीम के बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी। गत सप्ताह पटवारी हल्का के पास नक्शा देख गया तो अपीलान्ट को तमाम तथ्यों की जानकारी हुयी, जिस पर अपीलान्ट ने सम्बन्धित दस्तावेजात् की नकल प्राप्त की ओर अपना वकील नियुक्त कर बिना किसी देरी के अपील माननीय न्यायालय में पेश है फिर भी अपील पेश करने में देरी माफी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम पेश किया जा रहा है।
7. यह है कि माननीय न्यायालय को अपील में श्रवणाधिकार हासिल है तथा उचि कोर्ट फीस पर पेश है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 279 ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 की पालना में की गयी नक्शे में तरमीम को दुरूस्त की जाकर हाल खसरा नम्बर 908/1 वाके मौजा पाथरेडी को ख.नं. 905, 906, 907, 891 वाके मौजा पाथरेडी से सटते हुए उत्तर से दक्षिण अंकित किये जाने के आदशे करने की कृपा करें।
8. अपीलान्टस् द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडन्ट की तल्बी हेतु विधि अनुरूप नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये गये जो बाद तामील प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया।
9. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील मिमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि ग्राम पाथरेडी के साबिक खसरा नम्बर 272 से हाल खसरा नम्बर 908 वाके ग्राम पाथरेडी बने है में से 1.00 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पति/पिता को दिनांक 16/9/1976 को आवंटन हुयी थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली मु.नं. 25/1988 ब उनवान बंशी बनाम राजस्थान सरकार घोषणात्मक वाद में पारित निर्णय दिनांक 23/5/1994 के द्वारा डिक्री किया जाकर अपीलान्ट के पिता को आ.ख.नं. 908 में 1.00 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था। उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 279 ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 को तस्दीक किया जाकर आ. ख.नं. 908 वाके मौजा पाथरेडी में 1.00 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट के पिता को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तथा साथ ही उक्त नामान्तरकरण की पालना में ख.नं. 908 में से 1.00 हैक्टर भूमि का नया खसरा नम्बर 908/1 दर्ज कर नक्शे में पूर्व से पश्चिम ख.नं. 889, 888, 891 से सटते हुए तरमीम की गयी थी जो तरमीम गलत कर दी गयी थी, जबकि ख.नं. 908/1 की तरमीम खसरा नम्बर 905, 906, 907, 891 से सटते हुए उत्तर से दक्षिण करनी चाहिए थी। पटवारी हल्का ने भी उक्त ख.नं. 905, 906, 907, 891 के सटते हुए काबिज होना बताया गया है। अतः नामान्तरकरण संख्य 279 ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 की पालना में नक्शें मे की गयी तरमीम को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 908/1 वाके मौजा पाथरेडी को ख.नं. 905, 906, 907, 891 वाके मौजा पाथरेडी से सटते हुए उत्तर से दक्षिण अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें।
10. पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा घोषणात्मक दावा ब उनवान बंशी बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय डिक्री 23/5/1994 की पालना में उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 वाके ग्राम पाथरेडी स्वीकार हुआ है, जिसकी पालना में ख.नं. 908 में से 1.00 हैक्टर भूमि का नया नम्बर 908/1 दर्ज कर नक्शें में तरमीम की गयी है। अतः अपील खारिज फरमावें।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया गया तो पाया कि ग्राम पाथरेडी का नामा.सं. 279 बाबत ख.नं. 908 का तहसीलदार कोटपूतली के आदेश क्रमांक/भू. अ./94/1357 दिनांक 10/6/94 एवं उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के आदेश क्रमांक/आर.ए/94/365 दिनांक 31/5/1994 के द्वारा 1.00 हैक्टर भूमि का बंशी पुत्र भूरा अहीर के नाम भरा जाकर स्वीकार होना पाया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि ग्राम पाथरेडी के साबिक ख.नं. 272 से हाल खसरा नम्बर 908 वाके ग्राम पाथरेडी बने है। ख.नं. 908 में से 1.00 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के पति/पिता को दिनांक 16/9/76 में भूमि आवंटन हुयी थी। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली ब उनवान बंशी बनाम सरकार मु.नं. 25/1988 घोषणात्मक वाद में निर्णय डिक्री पारित कर अपीलान्ट के पिता को आ.ख.नं. 908 में 1.00 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया था, जिसकी पालना में उक्त नामान्तरकरण दिनांक 06/8/1994 को तस्दीक किया जाकर आ.ख.नं. 908 वाके मौजा पाथरेडी में 1.00 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट के पिता को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। साथ ही उक्त नामान्तरकरण की पालना में ख.नं. 908 में से 1.00 हैक्टर भूमि का नया खसरा नम्बर 908/1 दर्ज कर नक्शे में पूर्व से पश्चिम ख.नं. 889, 888, 891 से सटते हुए तरमीम कर दी गयी जो तरमीम गलत दर्ज कर दी गयी जो तरमीम गलत दर्ज कर दी गयी थी, जबकि ख.नं. 908/1 की तरमीम ख.नं. 905, 906, 907, 891 से सटते हुए उत्तर से दक्षिण करनी चाहिए थी साथ ही वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि पटवारी हल्का ने उक्त ख.नं. 905, 906, 907, 891 के सटते हुए काबिज होना बताया है। नामान्तरकरण संख्या 279 ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 की पालना में नक्शें में की गयी तरमीम को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 908/1 वाके मौजा पाथरेडी को खसरा नम्बर 905, 906, 907, 891 वाके मौजा पाथरेडी से सटते हुए उत्तर से दक्षिण तरमीम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

चूंकि उक्त नामान्तरकरण संख्या 279 वाके ग्राम पाथरेडी दिनांक 06/8/1994 की पालना में ख.नं. 908/1 राजस्व नक्शे में पूर्व से पश्चिम ख.नं. 889, 888, 891 से सटते हुए तरमीम होना पायी जाती है। वकील अपीलान्ट द्वारा जाहिर किया है कि उक्त नक्शे में जो तरमीम हुयी है वह गलत हुयी है, जबकि अपीलान्ट ख.नं. 905, 906, 907, 891 वाके मौजा पाथरेडी से सटते हुये उत्तर से दक्षिण अपीलान्ट काबिज है। काबिज के आधार पर ही उक्त नामान्तरकरण की पालना में ख.नं. 908/1 वाके ग्राम पाथरेडी में तरमीम करनी चाहिए थी इसलिए तहसीलदार तहसील कोटपूतली को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कोटपूतली को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकॉर्ड का भलीभांति परिक्षण एवं जांच कर मौका एवं रिकॉर्ड के आधार पर अपीलान्ट जहाँ काबिज काश्त है उन्हें सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर नामान्तरकरण संख्या 279 दिनांक 06/8/1984 वाके मौजा पाथरेडी की पालना में आ.ख.नं. 908/1 वाके मौजा पाथरेडी की नये सिरे से नियमानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कोटपूतली को भिजवायी जावें।

13. निर्णय आज दिनांक 27.1.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)